



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-205

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 278364 दिनांक 20/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Ramesh Yadav S/o SHYONATH YADAV	श्री जगदीश नारायण पुत्र श्री पांचूराम	404	61.20 SQ. METER	JDA	NILAY KUNJ Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	जविप्रा की योजना निलय कुंज के भूखण्ड संख्या 404 क्षेत्रफल 61.20 वर्ग मीटर की लीजडीड श्री जगदीश नारायण पुत्र श्री पांचूराम के नाम से दिनांक 26.11.15 को जारी की गयी है। तत्पश्चात श्री जगदीश नारायण द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.01.16 के द्वारा श्री श्योनाथ पुत्र श्री चौधू को कर दिया गया। तत्पश्चात श्री श्योनाथ की दिनांक 11.01.2024 को मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान गोपाली देवी यादव एवं सीता देवी पुत्रिया स्व. श्री



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

शयोनाथ द्वारा
जरिये रजिस्टर्ड
हक त्याग पत्र
दिनांक
30.04.2025 के
द्वारा श्री रमेश
यादव पुत्र स्व. श्री
शयोनाथ के पक्ष
में कर दिया गया।
आवेदक श्री रमेश
यादव द्वारा मृत्यु
प्रमाण पत्र, शपथ
पत्र एवं रजिस्टर्ड
हक त्याग पत्र
प्रस्तुत कर उक्त
भूखण्ड का नाम
हस्तान्तरण एवं
लीज होल्ड से फ्री
होल्ड लीजडीड
जारी किये जाने
हेतु आवेदन किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Ramesh Yadav S/o SHYONATH YADAV को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |